

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'साठ'

[28/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 2876]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2876 – द्वारा प्रो. संजीव छोटेलाल उइके के प्रश्नांश “क” से संबंधित

परिशिष्ट-1

जिला यूनियन कार्यालय का नाम	अ. क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल विभाग का नाम	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थिति/उपस्थिति का वर्ष
1	2	3	4	5	6
पूर्व मण्डला	1	श्री सुनील कुमार दुबे	सहायक ग्रेड-2	वन विभाग	2003
	2	श्री युसूफ खोखर	वनपाल	वन विभाग	2005
पश्चिम मण्डला	3	श्रीमती सुशीला कुसराम	सहायक ग्रेड-2	वन विभाग	2004

अपर प्रबंध संचालक (प्रशा./सम.)
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
पंत्रालय, दलभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/३ ११०६/३/एक,

प्राप्ति,

भोपाल, दिनांक २७ अगस्त २००५

शासन के समस्त विभाग,
भृष्ट, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश गवालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—बाह्य सेवा अथवा एक्स केडर पदों पर प्रतिनियुक्त के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत.

स्वंदर्भ—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ ए १०-१८/८८/४९/एक, दिनांक २-१२-८८ ज्ञापन क्रमांक सी/३-१८/९४/३/एक, दिनांक १२-१२-१९९४ एवं ज्ञापन क्रमांक सी/३-७/९५/३/एक, दिनांक ५ जून, १९९५.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए अन्मानुसार एकजारी आदेश जारी किये जाते हैं :—

- (एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएँ प्रतिनियुक्त पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम दीन अधिकारियों के नामों का पैनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पूँत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी मंगाना चाहिए.
- (दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ देने को सहमत हो तो उक्त जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएँ।
- (तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरांत चयनित लोक सेवक की सेवाएँ कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए।
- (चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएँ लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएँ सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए। आदेश में यह स्पष्ट टीप अंकित करना चाहिए कि सेवाएँ लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें। पदस्थापना आदेश न्यारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैन्तक विभाग द्वारा कार्यमुक्त किया जाएँ।
- (पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दानों विभागों का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएँ वापस की जा सकेंगी।

2. इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी/३-१८/९४/३/एक, दिनांक १२-१२-९४ के निर्देश अनुसार ४ वर्ष से अधिक लिए प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी विभाग प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा जिस विभाग से सेवाएँ ली गई हैं उन दोनों विभागों न्यू सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाएँ। अब भी यामाले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे।

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाये।

4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत संस्थाओं के लिए भी लागू होगी।

हस्ता/-

(अकीला हशमत)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2876 – द्वारा प्रो. संजीव छोटेलाल उइके के प्रश्नांश “ग” से संबंधित

परिशिष्ट-3

जिला यूनियन का नाम	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मूल विभाग का नाम	प्रतिनियुक्ति पर पदस्थिति / उपस्थिति का वर्ष	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम मण्डला	श्रीमती सुशीला कुसराम	सहायक ग्रेड-2	वन विभाग	2004	आदेश में अवधि का उल्लेख नहीं है।	मूल विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति से सेवा वापसी के आदेश होने पर संबंधित की सेवायें उनके मूल विभाग में वापस करने पर विचार किया जायेगा।

Qno 15/7/16
अपर प्रबंध संचालक (प्रशा./सम.)
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ
M भोपाल